न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(डॉ सौम्या झा,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 68 / 2024
प्रविष्टि दिनांक 30.09.2024

सीताराम शर्मा पुत्र रामकरण शर्मा निवासी डांगरथल तहसील निवाई जिला टोंक राज0

–अपीलान्ट

बनाम

1–तहसीलदार निवाई जिला टोंक
2–शिवप्रसाद पुत्र सीताराम निवासी डांगरथल तहसील निवाई जिला टोंक राज0
3–लालचन्द पुत्र सीताराम निवासी डांगरथल तहसील निवाई जिला टोंक राज0
4–गोपाली पुत्री सीताराम निवासी डांगरथल तहसील निवाई जिला टोंक राज0
5–कौशल्या पुत्री सीताराम निवासी डांगरथल तहसील निवाई जिला टोंक राज0
6–सुशीला पुत्री सीताराम निवासी डांगरथल तहसील निवाई जिला टोंक राज0
7–गायत्री पुत्री सीताराम निवासी डांगरथल तहसील निवाई जिला टोंक राज0
8–मूली पत्नि सीताराम निवासी डांगरथल तहसील निवाई जिला टोंक राज0

–रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 5024 दिनांक 08.07.2020 वाके ग्राम डांगरथल तहसीलदार निवाई

उपस्थिति –(1) श्री राजेन्द्र कुमार बैरवा, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री विजय बहादूर सिंह,अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ता. 8

निर्णय **दिनांक 23.01.2025**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि तहसीलदार निवाई द्वारा दिनांक 08.07.2020 को मृतक खातेदार सीताराम पुत्र रामकरण कोम ब्राहमण साकिन देह की विरासत का नामान्तरकरण सं0 5024 दिनांक 08.07.2020 वाके ग्राम डांगरथल शिवप्रसाद,लालचन्द पि.सीताराम,गोपाली,कौशल्या,सुशीला,गायत्री पुत्रीयां सीताराम,भूली देवी पत्नि सीताराम कोम ब्राहमण साकिन देह के नाम स्वीकार किया गया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार निवाई के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट्स जरिए नोटिस की गई। विवादित नामान्तरकरण की प्रति मंगवाई गई। प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमि. एक्ट पर अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। न्यायहित मे प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अभिभाषकगण की प्रकरण मे अन्तिम बहस सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक ने अपनी बहस मे अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि भूमि आराजी खसरा नम्बर 1576 रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम

जिला कलेक्टर
टोंक

डांगरथल तहसील निवाई मे स्थित है,जो अपीलांट के पिता रामकरण पुत्र मांगीलाल की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है। अपीलांट के पिता कि मृत्यु उपरान्त उक्त भूमि उनके वारिसान के नाम जरिये विरासत नामान्तकरण दर्ज हुई,उसके उपरांत पारिवारिक विभाजन व हकत्याग पत्र के द्वारा उक्त भूमि में से 3 बीघा 8 बिस्वा भूमि के नये खसरा नम्बर 1576/2 अपीलांट के नाम दर्ज रिकार्ड हुई। अपीलांट का उक्त भूमि पर कब्जा चला आ रहा है। अपीलांट ने अपनी भूमि पर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर हाल भारतीय स्टेट बैंक शाखा निवाई से केसीसी ऋण भी प्राप्त किया हुआ है। इस बीच रेस्पोडेण्ट्स के पिता व पति सीताराम पुत्र रामकरण शर्मा जो कि अपीलांट व उसके पिता के नाम से मिलता नाम है की मृत्यु होने के कारण उक्त भूमि का नामान्तकरण राजस्व अधिकारियो व कर्मचारियो द्वारा सहवन से रेस्पोडेण्ट सं0 2 ता. 8 के नाम जरिये नामान्तकरण संख्या 5024 दिनांक 08.07.2020 को तस्दीक कर दिया गया है,उक्त भूमि से अपीलांट के अतिरिक्त अन्य किसी का कोई सम्बन्ध अथवा सरोकार नहीं है। अपीलांट जीवित है और मौके पर आज भी अपीलांट का ही कब्जा काश्त है। आराजी खसरा नम्बर 1576/2 से रेस्पोडेण्ट्स का कोई सम्बन्ध अथवा सरोकार नही है। रेस्पोडेण्ट्स का मौके पर कब्जा भी नही है। राजस्व अधिकारियो व कर्मचाारियो द्वारा सहवन से केवल मात्र वल्दीयत एक समान होने के कारण अपीलांट की उक्त भूमि का नामान्तकरण बिना विधिवत् जाँच किये एव बिना मौके पर गये ही रेस्पोडेण्ट सं. 2 ता. 8 के पक्ष में उनके पिता सीताराम पुत्र रामकरण की मृत्यु होने के उपरांत तस्दीक कर दिया गया है। अपीलांट को सर्व प्रथम जानकारी दिनांक 03.07.2024 को तहसील कार्यालय में सरकारी योजना के तहत भूमि का अंकन करवाने हेतु उपस्थित हुआ और भूमि की जमाबंदी निकलवायी तो ज्ञात हुआ कि उसकी भूमि खसरा नम्बर 1576/2 गलत रूप से रेस्पोडेण्ट सं. 2 ता. 8 के नाम दर्ज रिकार्ड हो चुकी है। अपीलाट ने जानकारी कर त्रुटिपूर्ण नामान्तकरण की नकल प्राप्त कर अपील बिना किसी देरी के पेश कर रहा है। अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा करने हेतु अपीलांट ने पृथक से धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर उक्त नामान्तकरण को खसरा नम्बर 1576/2 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम डांगरथल की हद तक निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ता. 8 ने जवाबी बहस में अभिभाषक अपीलांट के कथन पर अपनी सहमति प्रदान कर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। तहसीलदार निवाई द्वारा दिनांक 08.07.2020 को मृतक खातेदार सीताराम पुत्र रामकरण कोम ब्राहमण साकिन देह की विरासत का नामान्तरकरण सं0 5024 दिनांक 08.07.2020 वाके ग्राम डांगरथल शिवप्रसाद,लालचन्द पि. सीताराम,गोपाली,कौशल्या,सुशीला,गायत्री पुत्रीयां सीताराम,भूली देवी पत्नि सीताराम कोम ब्राहमण साकिन देह के नाम स्वीकार किया गया है।

अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि रेस्पोडेण्ट्स के पिता व पति सीताराम पुत्र रामकरण शर्मा जो कि अपीलांट व उसके पिता के नाम से मिलता नाम है की मृत्यु होने के कारण उक्त भूमि का नामान्तकरण राजस्व अधिकारियो व कर्मचारियो द्वारा सहवन से रेस्पोडेण्ट सं0 2 ता. 8 के नाम जरिये नामान्तकरण संख्या 5024 दिनांक 08.07.2020 को तस्दीक कर दिया गया है,उक्त भूमि से अपीलांट के अतिरिक्त अन्य किसी का कोई

जिला कलेक्टर
टोंक

सम्बन्ध अथवा सरोकार नहीं है। अपीलांट जीवित है और मौके पर आज भी अपीलांट का ही कब्जा काश्त है। आराजी खसरा नम्बर 1576/2 से रेस्पोडेण्ट्स का कोई सम्बन्ध अथवा सरोकार नही है। रेस्पोडेण्ट्स का मौके पर कब्जा भी नही है। अभिभाषक अपीलांट के कथन पर अभिभाषक रेस्पो. संख्या 2 ता. 8 ने सहमति जताई। तहसीलदार निवाई द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व पक्षकारान की सुनवाई नही की हैं। जबकि प्राकृतिक न्याय का सिद्वान्त है कि पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त ही निर्णय पारित किया जाना चाहिये था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 5024 दिनांक 08.07.2020 वाके ग्राम डांगरथल तहसील निवाई को खसरा नम्बर 1576/2 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा की हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार निवाई को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि पक्षकारों की विधिवत सुनवाई कर,दस्तावेजात तथा मौके की जांच कर पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करें। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.सौम्या झा)
जिला कलेक्टर,टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर (राजस्थान)